आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या–275 / 2022
श्रीमती बबिता कुमारी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
27.03.2023	यह पुनरीक्षणवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या–21 / 2022 में दिनांक 06.10.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। वादी (श्रीमती बबीता कुमारी) द्वारा इस न्यायालय (आयुक्त) में दिनांक 01.11.2022 को वाद दायर किया गया एवं इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2022 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश को इस न्यायालय से अंतिम आदेश पारित होने तक Stay किया गया । वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) में वादी (श्रीमती बबीता कुमारी) द्वारा पूर्व में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या–67 / 2020 में दिनांक–26.06.2021 को पारित आदेश के विरुद्ध वाद संख्या–56 / 2021 दायर किया गया था। उक्त वाद को इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) के आदेश दिनांक 26.10.2021 द्वारा	

WEB COPY NOT OFFICIAL

स्वीकृत कर लिया गया था (उस समय वाद का विषय वस्तु भिन्न था)। जिसके आलोक में वादी (श्रीमती बबीता कुमारी) को मीनापुर परियोजना अंतर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या–473 पर योगदान करा लिया गया। योगदान के बाद वादी (श्रीमती बबीता कुमारी) के प्रमाण–पत्र जो की हिन्दी विद्यापीठ, देवघर का था, को अमान्य पाते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा वादी को चयनमुक्त कर दिया गया। उक्त चयनमुक्ति आदेश के विरुद्ध वादी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के समक्ष वाद संख्या–21/2022 दायर किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मीनापुर के आदेश को संपुष्ट कर दिया, जिसके विरुद्ध यह वाद इस न्यायालय में दायर है।

वादी (श्रीमती बबीता कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वादी (श्रीमती बबीता कुमारी) को चयनमुक्त करने के पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मीनापुर ने न तो सुनवाई का कोई मौका दिया और न ही कोई नोटिस दिया, जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। वादी (श्रीमती बबीता कुमारी) वर्ष 2002 में देवघर विद्यापीठ झारखंड से मैट्रिक के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की, उन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर वर्ष 2009 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से इन्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की, जहॉ कॉलेज एवं संबद्ध बोर्ड द्वारा वादी को नामांकन एवं परीक्षा देने से नहीं रोका गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त मैट्रिक प्रमाण–पत्र को बिहार सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मीनापुर ने अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–13343/2011 के आदेश दिनांक–07.05.2012 का हवाला देकर वादी को चयनमुक्त कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में अंकित है कि

WEB COPY NOT OFFICIAL

दिनांक–07.05.2012 से पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों के आधार पर की गई नियुक्ति प्रोन्नति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात दिनांक–07.05.2012 से पूर्व जिन अभ्यर्थियों ने हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से उपाधि प्राप्त की उनके प्रमाण–पत्रों को बिहार सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और वादी उक्त संस्थान से वर्ष 2002 में ही उत्तीर्ण है। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने वाद के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के एक अन्य वाद सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–285/2016 का भी उल्लेख किया है। अंत में वादी के विद्वान अधिवक्ता ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–13343/2011 में दिनांक–07.05.2012 को आदेश पारित किया है, जिसमें हिन्दी विद्यापीठ,देवघर के मान्यता को ही अमान्य कर दिया है, जिस आधार पर वर्ष 2002 में वादी को प्रमाण–पत्र हुआ है। अतएव जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश उचित है।

वादी को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी को सुनने, वादी अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी (श्रीमती बबीता कुमारी) को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मीनापुर द्वारा उनके (श्रीमती बबीता कुमारी) के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र हिन्दी विद्यापीठ, देवघर (झारखंड) का पाया गया। हिन्दी विद्यापीठ, देवघर के मान्यता के संबंध में सरकार के अपर सचिव, (बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना) के पत्रांक–5267 दिनांक–08.04.2016 के कंडिका–05 में स्पष्ट है किः–सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–13343/2011

WEB COPY NOT OFFICIAL

में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक–07.05.2012 के समुक्तियों (Observation) एवं न्यायादेश के आलोक में समुचित विचारोपरांत हिन्दी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों की मान्यता संबंधी विभागीय आदेश ज्ञापांक–08/आर0 1–303/84/का0–541 दिनांक 11.01.1991 को उक्त न्यायादेश की तिथि अर्थात दिनांक–07.05.2012 से निरस्त किया जाता है। उक्त तिथि से पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों के आधार पर की गई नियुक्ति/प्रोन्नति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुकि वादी का चयन 2019 के विज्ञापन के आलोक में किया गया है, जो कि 2012 के बाद का है, इसलिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मीनापुर द्वारा वादी के हिन्दी विद्यापीठ, देवघर को अमान्य सूची में पाते हुए चयनमुक्ति का आदेश दिया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश में हसतक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही वादी के मैट्रिक (फर्जी संस्थान से प्राप्त प्रमाण–पत्र) के आधार पर इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई हेतु बिहार विधालय परीक्षा समिति, पटना को भी इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL